

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/ आ.छा. मरम्मत /2014-15/31829-40 दिनांक : 19/08/19

परियोजना अधिकारी

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

प्रतापगढ।

विषय : प्रतापगढ जिले मे क्षतिग्रस्त बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य की कार्योत्तर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

प्रसंग : आपका पत्रांक एफ-प्रताप/निर्माण/टीएडी/2019-20/3062-63 दि.01.07.19 एवं 3522-24 दिनांक 31.07.2019 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम मे अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड प्रथम प्रतापगढ से विस्तृत तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने से निम्नानुसार कार्योत्तर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रु. 1.60 लाख की जारी की जाती है।
(राशि लाखो मे)

क्र.स.	नाम कार्य व स्थान	पं.स.	तकनीकी स्वीकृति		कार्यकारी एजेन्सी
			/क/दि.	राशि	
1	एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, टीमूरवा की चारदीवारी निर्माण (25 मीटर क्षतिग्रस्त बाउण्ड्रीवॉल का पुनर्निर्माण	प्रतापगढ	EE/PTG/23/3 0.07.2019	1.60	PWD- खण्ड-

उपरोक्त कार्य पर राशि का व्यय संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या 51/2016-17 (एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, टीमूरवा की क्षमता वृद्धि कार्य की शेष राशि) मे से होगा। यह राशि परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग प्रतापगढ के निजी निक्षेप खाते मे उपलब्ध है।

शर्त:-

1. यदि कोई कार्य अन्य किसी स्रोत से पूर्व में स्वीकृत हो गया हो तो अविलम्ब सूचित करें। यदि दोहरा व्यय होता है तो इसकी जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की रहेगी।
2. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही किया जावे। तकनीकी स्वीकृति से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जावे।
3. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012, संशोधन 2013 सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावे।
4. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकनीकी स्वीकृति के अनुसार गुणवत्तापूर्वक किया जावे। स्वीकृत कार्यो का third party inspection समय-समय पर करवाया जायेगा। inspection के समय आवश्यक सूचनाएं कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निरीक्षण दल को उपलब्ध करवाई जावेगी। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दुरस्त/ठीक करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी।
5. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, प्रगतिपर एवं पूर्णता के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे।
6. कार्य पूर्ण होने पर उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र के साथ बचत राशि लौटाई जावे।

भवदीय



(विकास सीतारामजी भाले)I.A.S
आयुक्त

कृ.पू.उ.

13


2

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/ आ.छा. मरम्मत /2014-15/ 31829-40 दिनांक :

प्रतिलिपी :-

19.08.19

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, प्रतापगढ़।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उदयपुर।
5. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-प्रथम जिला प्रतापगढ़।
6. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त प्रतापगढ़।
7. अधीक्षका, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, टीमूरवा जिला प्रतापगढ़।
8. निदेशक मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
9. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा।
10. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ कार्यालय हाजा।
11. गार्ड फाईल।


आ.छा. आयुक्त

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर (राज0)